संख्या- /X-2-2014-12(32)/2012

प्रेषक,

मनोज चन्दन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 17 फरवरी, 2014

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की योजना "वनों की सुरक्षा योजना" में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 नि-851/3-5(रा0सै0-वनों की सुरक्षा) दि0 23 नवम्बर 2013, प0सं0 नि-678/3-5(रा0सै0-व0मो0मार्ग) दि0 09 अक्टूबर, 2013, प0सं0 नि-812/2-34(टी0ए0सी0) दि0 13 नवम्बर 2013 एवं प0सं0 नि-1286/3-5(रा0सै0-वनों की सुरक्षा) दि0 10 फरवरी, 2014 एवं श्री भरत सिंह रावत, विकासखण्ड मोरी, उत्तरकाशी का मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सम्बोधित प0सं0 मेमो/2014-15 दि0 30 जनवरी, 2014 (छायाप्रति संलग्न) जो अग्रेतर कार्यवाही हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त सभी पत्रों में उल्लिखित विभिन्न प्रस्तावों का शासन स्तर पर सम्यक परीक्षणोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत "**वनों की सुरक्षा योजना**" में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष पूंजीगत पक्ष में शासनादेश सं0-4135A/X-2-2013-12 (32)/2012 दि0 19 नवम्बर, 2013 द्वारा अवमुक्त धनराशि **₹ 50,00,000/- (₹ पचास लाख मात्र)** के पश्चात अवशेष धनराशि **₹ 50,00,000/- (₹ पचास लाख मात्र)** संलगन विवरणानुसार व्यय किये जाने के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दि0 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश संख्या 413/XXVII(1)/2013 दि0 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा वन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का संक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
5. पूर्व अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा इसके अतिरिक्त योजना की प्रगति तथा उद्देश्यों की पूर्ति संतोषजनक होने पर ही धनराशि आहरित एंव व्यय की जायेगी।
6. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
8. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
9. आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

क्रमशः.....2

10. संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय शासन को सूचित किया जाय।
11. स्वीकृति कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि धनराशि की बचत होती है तो बचत की धनराशि यथासमय शासन को सूचित की जाय।
12. मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
13. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
15. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1402270179 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
16. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यता अनुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)2011, दिनॉक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

3- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 07-00 वनों की सुरक्षा योजना-मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है:-

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दि0 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश संख्या 413/XXVII(1)/2013 दि0 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नकः- यथोक्त

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संख्या- 563 /X-2-2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

शासनादेश संख्याः 363/X-2-2014-12(32)/2012 दि0 17 फरवरी, 2014 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 07-00 वनों की सुरक्षा योजना-मानक मद 24-वृहद निर्माण के अन्तर्गत उपलब्ध आय-व्ययक ₹50 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित लक्ष्यों का विवरण:-

धनराशि ₹ हजार में

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	मानक मद 24 वृहद् निर्माण के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि हेतु कार्य योजना		
		कार्य विवरण	भौतिक	वित्तीय
1.	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला, उत्तरकाशी	सुपिन रेंज के ग्राम कासला के मानाका गांव के ऊपर चैक डॉम निर्माण कार्य।	-	300
2.	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी, विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर	पट्डी में रजवाड़ी गाड़ में चैकडैम व सुरक्षा दीवाल	-	150
3.	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी, विधान सभा क्षेत्र घनसाली	घनसाली गौरिया - 12 पर चैकडेम निर्माण	-	400
4.		बागड़, तलीरिया, नैल, मज्यापाणी, काफलधार तोक में चैकडैम निर्माण	-	350
5.		गोनगढ़ क0सं0-4 व 5 में चैकडैम निर्माण	-	300
6	हल्द्वानी वन प्रभाग	गोलापार में अतिक्रमण से खाली कराये गये क्षेत्रों में कार्य	-	500
7	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	अतिक्रमण से संवेदनशील क्षेत्रों में बाउन्ड्रीवाल निर्माण जौलावन, शिवनाथपुर, छोई	लगभग 3 कि0मी	2400
8	गोविन्द वन्य जीव विहार	सांकरी तालुका जीप मार्ग के स्थान हलारा, पूर्ति स्लाईड का ट्रीटमेन्ट कार्य।	-	300
9		सौड़ केदारकांठा वन पैदल मार्ग के स्थान कुलामो, भुजुला, मोरेन्डा खड्ड में सुरक्षात्मक कार्य।	-	300
	योग :-			5000

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ पचास लाख मात्र)

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 563 /X-2-2014-12(32)/2012 अलोटमेंट आई डी - S1402270179

अनुदान संख्या - 027 आवंटन पत्र दिनांक 14-Feb-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01 - वानिकी

800 - अन्य व्यय 07 - वनों की सुरक्षा योजना

00 - वनों की सुरक्षा योजना

Plan Voted

मालक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	5000000	5000000	10000000
	5000000	**5000000**	**10000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 5000000